चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 10.11.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना सरधुवा द्वारा पटौनी में,थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में,थाना बहिलपुरवा द्वारा सेमरदहा में,थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में,थाना कोतवाली कर्वी द्वारा कस्बा कर्वी में,थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 10.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस पेंशनर्स की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस पेंशनर्स से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने पेंशनर्स के अनुभव एवं ज्ञान की सराहना करते हुए समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा पुलिस विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर पुलिस पेंशनर्स को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, कानूनी सहायता एवं शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। बैठक में उपस्थित पेंशनर्स को अपनी समस्याएं, सुझाव एवं अनुभव साझा करने का अवसर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक के माध्यम से पुलिस पेंशनर्स एवं पुलिस विभाग के मध्य आपसी संवाद, समन्वय एवं सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया, ताकि पेंशनर्स की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके अनुभवों एवं सुझावों का लाभ पुलिस विभाग एवं समाज को प्राप्त हो सके साथ ही साथ बढ़ते साइबर अपराध से सावधान रहने हेतु बताया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस कार्यालय पहुंचे फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा फरियादियों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए।

(4). पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस क्रम में ए.एस. चेक टीम चित्रकूटधाम, बाँदा एवं एल.आई.यू. टीम चित्रकूट द्वारा संयुक्त रूप से माननीय न्यायालय चित्रकूट परिसर की सघन चेकिंग की गयी। वहीं मेला के दृष्टिगत बी.डी.डी.एस. टीम प्रयागराज व स्थानीय अभिसूचना ईकाई के द्वारा रामघाट व आस-पास के क्षेत्र की सघन चेकिंग की गयी तथा ए.एस. चेक टीम ललितपुर व एल.आई.यू. द्वारा संयुक्त रूप से परिक्रमा मार्ग की सघन चेकिंग की गयी। उक्त चेकिंग के दौरान कहीं भी कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गयी।

(5). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये 32 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 03 लाख 18 हजार 235 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये

उल्लेखनीय है साइबर अपराध से पीडित 32 व्यक्तियों के साथ साइबर अपराध में प्रचलित विभिन्न तरीको से कुल 03 लाख 18 हजार 235 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह ,आरक्षी प्रशान्त कुमार, आरक्षी सर्वेश कुमार द्वारा बैंकों से समन्वय स्थापित कर एवं गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों की धनराशि वापसी हेतु प्रक्रिया MRM (Money Restoration Module) के तहत अथक प्रयास करके कुल 03 लाख 18 हजार 235 रुपये बरामद कराये गये।

नागरिकों के जीवन में वर्तमान समय में इंटरनेट, मेल एवं सोशल मीडिया ने बड़ी जगह बना ली है, ऐसे में दिनचर्या एवं ऑफिस के कार्यों में प्रतिदिन हमें इसका उपयोग करना होता है इसी में विभिन्न फ्रॉड के तरीके

जैसे जालसाजों द्वारा साइबर अटैक कर आम नागरिकों के गूगल अकाउंट/जी-मेल आईडी हैक किये जा रहे हैं। हैकर द्वारा जी-मेल आईडी हैक करने के बाद पीड़ित का मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी चेंज कर और अन्य फर्जी मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी को अपडेट किया जा रहा है। ऐसा कर देने से पीड़ित अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे हैं। अकाउंट हैक हो जाने से पीड़ित को अपने मोबाइल हैंडसेट में सेव कॉन्टेक्ट्स दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि पीड़ित अपने जी-मेल अकाउंट का एक्सेस खो चुका होता है। जीमेल आईडी हैक हो जाने की पश्चात हैकर द्वारा पीड़ित के गूगल ड्राइव पर सेव फोटो, वीडियो कॉन्टेक्ट्स आदि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़ित के गूगल अकाउंट को अन्यत्र वेबसाइट पर रजिस्टर कर अपराध कार्य करने हेतु भी उपयोग में लाया जा सकता है।

<u>यह सावधानी रखनी है</u>

साइबर सेल प्रभारी चित्रकूट निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम ने बताया कि अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए अनजान नंबरों से आए हुए कॉल पर कॉलर द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास ना करें, मोबाइल फोन में कोई भी संदिग्ध एप्लीकेशन या एपीके फाइल डाउनलोड ना करें व ही अपनी ओटीपी को अनजाने व्यक्ति से शेयर करे। ई-मेल टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के मैसेज में आयी नीले रंग की लिंक (यूआरएल) पर क्लिक न करें समस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकाउंट (जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि) पर टू-स्टेप वेरीफिकेशन ऑप्शन हमेशा इनेबल रखें। अपने गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी कोट्स को किसी के साथ शेयर ना करें। गूगल पासवर्ड कभी भी अपना मोबाइल नंबर या अपनी जन्म दिनांक ना रखें पासवर्ड हमेशा अल्फान्यूमैरिक ही रखें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड/अपराध घटित होता हो जाता है तो सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर साइबर पर अपनी शिकायत रजिस्टर करें।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम द्वारा अलग अलग स्थानों से कुल 18 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री अंशुल कुमार,उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह का0 विपिन कुमार,का0 कृष्णकान्त मय चालक मोहित कुमार थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्तगण 1.महेन्द्र पुत्र हरिमोहन 2.शिवभजन पुत्र रामचन्द्र 3.लवकुश पुत्र हरिमोहन 4.उमाशंकर 5.संतोष पुत्र कल्लू को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से मालफड़ से 2950/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 780/- रुपये बरामद किए गए।अभियुक्तो के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री अंशुल कुमार मय हमराह का0 राहुल पुरी,का0 आदर्श राय,का0 निलेश कुमार,का0 अनिकेत मय चालक मोहित कुमार थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्तगण 1.शंकर पुत्र रामनिहोरे 2.सुधीर पुत्र बलवन्त 3.भैरव प्रसाद पुत्र स्व0 रामसनेही 4.अमृतलाल पुत्र रामसेवक को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से मालफड़ से 2550/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 920/- रुपये बरामद किए गए।अभियुक्तो के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार कटियार मय हमराह का0 शिवम मिश्रा,का0 लकी सिंह,का0 अभिषेक यादव,का0 जयश,का0 रवि यादव थाना राजापुर द्वारा अभियुक्तगण 1.राजू पुत्र नरेश 2.संजय पुत्र नत्थूलाल 3.लखन पुत्र स्व0 रामप्रताप 4.छिद्दू पुत्र स्व0 रामप्रताप 5.राजेश कुमार पुत्र रामनरेश 6.नितेश पुत्र नरेश चन्द्र 7.जीतू पुत्र स्व0 किशोरीलाल को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से मालफड़ से 2500/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 820/- रुपये बरामद किए गए।अभियुक्तो के विरुद्ध थाना राजापुर में 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह मय हमराह थाना मानिकपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.विकास पटेल पुत्र द्वारिका प्रसाद 2.जितेन्द्र पुत्र रामसूरत 3.इन्द्रजीत पुत्र छोटेलाल को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से मालफड़ से 2520/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 630/- रुपये,02 अदद मोमबत्ती बरामद किए गए।अभियुक्तो के विरुद्ध थाना मानिकपुर में 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). उ0नि0 श्री शम्भूशरण सिंह मय हमराह थाना मानिकपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.अनरद अली पुत्र अशरफ अली 2.रितिक पुत्र ननका 3.मनीष पुत्र कुन्नू को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से मालफड़ से 2430/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 750/- रुपये,02अदद मोमबत्ती बरामद किए गए। अभियुक्तो के विरुद्ध थाना मानिकपुर में 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(7). दीपावली अमावस्या मेला-2026 एवं भैयादूज पावन पर्व को सकुशल,शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत आज दिनांक 10.11.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा रामघाट, निर्मोही अखाड़ा, खोया-पाया केंद्र सहित संपूर्ण मेला क्षेत्र का भ्रमण कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधाओं के दृष्टिगत की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा रामघाट एवं अन्य प्रमुख स्नान घाटों का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था, घाटों पर सुरक्षा प्रबंध, बैरिकेडिंग, भीड़ के आवागमन एवं भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के दृष्टिगत पुलिस बल की तैनाती, यातायात व्यवस्था एवं संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया गया।

खोया-पाया केंद्र का निरीक्षण करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा बिछड़े हुए बच्चों एवं अन्य श्रद्धालुओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने तथा उन्हें सकुशल उनके परिजनों से मिलाने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल पर पूर्ण सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने, लगातार भ्रमणशील रहकर मेला क्षेत्र की निगरानी करने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही श्रद्धालुओं के साथ विनम्र एवं सहयोगात्मक व्यवहार रखते हुए उनकी सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु निर्देशित किया गया।

(8).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह, पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 10.11.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 475/2021 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त बुद्धविलास निषाद पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी कपसेठी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1200/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

माननीय न्यायालय स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट द्वारा एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 1150/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह, पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 10.11.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 476/2021 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त रामनारायण निषाद पुत्र मतगंजन निषाद निवासी कपसेठी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1150/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।